

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक:एफ 9(4)(33) छा. पोर्टल/नवीन सुझाव/सान्याअवि/2021-22/ दिनांक : 11235 / 28-6-2024

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 9952 दिनांक 31.05.2024 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 30 जून 2024 निर्धारित की गई थी। जिसे बढ़ाकर विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 31 जुलाई 2024 तक निर्धारित की जाती है।

शेष शर्तें यथावत रहेगी।

(मुन्नी मीना)

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)

दिनांक : 28-6-2024

क्रमांक:एफ 9(4)(33) छा. पोर्टल/नवीन सुझाव/सान्याअवि/2021-22/ 11236-14000

दिनांक : 28-6-2024

- संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
- निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
- निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
- निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
- जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी, (समस्त)।
- वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
- अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.....।
- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
- प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
- प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/ राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
- अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
- संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक आई. टी.)मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाने, वेबसाइट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
- उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- संयुक्त/उप/सहायक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअवि (समस्त).....।
- रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Munni Meena
Designation: Additional Director
Date: 2024.06.28 17:17 IST
Reason: Approved

8459010



Forwarded to
MR/WS
Balkrishna - Chaitanya Singh
11/2/24